फर्द अहकाम

चन्दी देवी बनाम सरकार

नाम न्यायालय

केस संख्या 64/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/5/22	व० प्रार्थीया उप० । अप्रार्थीगण गैरहाजिर । ता 38 बावजूद तामील अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता प्रार्थीगण की भी बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 64 / 2021

उनवान

1. श्रीमती चन्दी देवी पत्नी श्री रामूराम,
2. श्रीमती कमली देवी पत्नी श्री रामकरण,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम आसलपुर, तहसील साम्भर, जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम आष्टिकला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

——प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2. उप–तहसीलदार महोदय, गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं,उप–तहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर ।
3. बाबू लाल पुत्र मांगू
4. लालाराम पुत्र मांगू
5. शंकर लाल पुत्र मांगू
6. सांवरमल पुत्र मांगू

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम आष्टिकला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

7. बनवारी लाल पुत्र रूडा,
8. शंकर लाल पुत्र रूडा,
9. श्रीमती कमली देवी पत्नी प्रभात,
10. दूंगाराम पुत्र प्रभात,
11. पांचूराम पुत्र प्रभात,

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम आष्टिकला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

12. कैलाश पुत्र भूरामल,
13. श्रीमती केसरी देवी पत्नी कैलाश,
14. कानाराम पुत्र सागरमल,
15. कोयली पुत्री सागरमल,
16. गलकु पुत्री सागरमल,
17. गोपाल लाल पुत्र सागरमल,
18. छोटूराम पुत्र भूरामल,
19. झमरी देवी पुत्री सागरमल,
20. नारायणी देवी पत्नी रामप्रताप,
21. प्रभाती देवी पत्नी छोटूराम,
22. बाबू लाल पुत्र सागरमल,
23. मालीराम पुत्र सागरमल,
24. रामप्यारी पत्नी प्रभू,
25. विमला देवी पत्नी भगवान सहाय,
26. सुन्दरी देवी पत्नी सागरमल,

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर

27. सीता देवी पत्नी सायरमल,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम आष्टिकला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

28. कैलाश पुत्र मालीराम,

29. गीता देवी पत्नी मालीराम,

30. भानाराम पुत्र मुरलीराम,

31. मोहन लाल पुत्र मुरलीराम,

32. लाडा देवी पत्नी मुरलीराम,

33. विमला देवी पुत्री मालीराम,

34. सुरेश पुत्र मालीराम,

35. सुशीला देवी पुत्री मालीराम,

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम आष्टिकला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

36. कल्लाराम पुत्र भूराराम

37. चौथू पुत्र जगन्नाथ,

38. मुरली पुत्र जगन्नाथ,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम आष्टिकला, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक–11.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीयागण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीयागण की वाके आष्टिकला, तहसील चौमूं, पटवार हल्का आष्टिकला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हस्तेडा, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 27 के हाल खसरा नम्बर 1972 रकबा 2.21 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 2.21 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं।

उक्त वर्णित प्रार्थीयागण की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2017 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय चौमूं के आदेश कमांक भू0अ0/2017/2120 दिनांक 30.05.2017 की पालना में पटवारी हल्का ग्राम आष्टिकला के द्वारा ग्राम आष्टिकला, तहसील चौमूं के स्थित खसरा नम्बर 1972 के मौके पर सीमाज्ञान हेतु पहूँच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष ग्राम आष्टिकला के खसरा नम्बर 1699 में स्थित गैर मुमकिन चाह मुस्तकील मुकानात से जरीब चलाकर मिलान किया गया, जो मौके पर मुताबिक नक्शा सही पाया गया, तत्पश्चात् खसरा नम्बर 1947 से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 2033 का मिलान किया गया, उक्त दोनों कुएं मुताबिक नक्शा शीट के मौके पर सही पाये गये, तत्पश्चात खसरा नम्बर 1970 में स्थित गैर मुमकिन चाह मुस्तकिल मुकाम से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 1972 का उत्तरी पूर्वी व उत्तरी–पश्चिमी कोना नाप कर कायम किया गया, जिसकी खसरा नम्बर 2033 में स्थित गैर मुमकिन चाह से मिलान किया गया, तत्पश्चात खसरा नम्बर 1972 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा व पूर्वी दक्षिण सीमा तक जरीब चलाकर निशान कायम किया गया। जिसको खसरा नम्बर 2033 व 1947 में स्थित गैर मुमकिन चाह से मिलान किया गया, तथा खसरा नम्बर 2038 में स्थित गैर मुमकिन चाह से भी मिलान किया गया, तथा मौके पर निशान करवाये गये इस प्रकार खसरा नम्बर 1972 की समस्त सीमाओं का प्रार्थीयान को सीमाज्ञान करवाया गया, उपस्थित पडौसी खातेदारान् एवं प्रार्थीयान द्वारा सीमाज्ञान सही होना स्वीकार किया गया, तथा पक्षकारान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:26 IST
Reason: SelfAttested

228
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

समझाई की गई तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीयागण अपनी खसरा नम्बर 1972 की भूमि वर्णित मद नम्बर 1 की पत्थरगढ़ी करवाना चाहती हैं जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की हिस्से की खातेदारी भूमि हैं, जिसकी पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 38 प्रार्थीयागण को उनके कब्जे शुदा एवं स्वामित्व की भूमि का प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित की पत्थरगढी नहीं करवाने दे रहे हैं तथा उक्त अप्रार्थी संख्या 3 ता 38 प्रार्थीयागण के पड़ौसी काश्तकार व्यक्ति हैं। दिनांक 08.08.2021 को प्रार्थीयागण सीमाज्ञान अनुसार मौके पर पत्थरगढी करने लगी तो उक्त अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 39 लड़ाई झगड़ा करने लगे और पत्थरगढी नहीं करने दी, जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थीयागण अपने कब्जे शुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगी तथा प्रार्थीयागण को स्पष्ट पत्थरगढी के लिये पुलिस इमदाद के आदेश दिया जाना अति आवश्यक हैं, क्योंकि यदि पुलिस इमदाद के आदेश नहीं दिये जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 39 द्वारा प्रार्थीयागण के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की अति सम्भावना हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश के साथ पुलिस इमदाद का आदेश भी प्रदान कर श्रीमान् तहसीलदार महोदय एवं उप–तहसीलदार महोदय अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को दिये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीयागण के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद तलबी अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रार्थीयागण की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयागण आवेदित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीयागण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 26.06.2017 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीयागण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2017 ... पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी ...

निर्णय आज दिनांक 11.05.2021 को ... न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:13:26 IST
Reason: SelfAttested

सीमा खेतान
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)